



झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची
JHARKHAND ACADEMIC COUNCIL, RANCHI

प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण (सेवाकालीन सहित) परीक्षा, 2016 (शिक्षा सत्र 2011-13, 2012-14 एवं 2014-16) के प्रशिक्षुओं के परीक्षा से संबंधित आवश्यक सूचना

विज्ञापित संख्या - 41/2016

एतद् द्वारा राष्ट्रीय अध्यापन शिक्षा परिषद् (NCTE) द्वारा मान्यता प्राप्त एवं Exminee body से सम्बद्ध अराजकीय/राजकीय प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय/जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के प्राचार्य/प्राचार्या को सूचित किया जाता है कि जिन प्रशिक्षण महाविद्यालयों के शिक्षा सत्र 2011-13, 2012-14 एवं 2014-16 के लिए पंजीयन प्रपत्र विज्ञापित संख्या 28/2016 दिनांक 14.06.2016 के आलोक में परिषद् कार्यालय में जमा किया जा चुका है, पंजीयन रसीद प्राप्त करने तथा परीक्षा आवेदन प्रपत्र एवं शुल्कादि जमा करने का कार्यक्रम निम्न प्रकार निर्धारित किया जाता है:-

(क)	पंजीयन रसीद एवं सादा परीक्षा आवेदन प्रपत्र परिषद् कार्यालय से प्राप्त करने की तिथि	दिनांक 10.08.2016
(ख)	भरे हुए परीक्षा आवेदन प्रपत्र शुल्कादि सहित परिषद् कार्यालय में जमा करने की तिथि (विलम्ब शुल्क रहित)	दिनांक 22.08.2016 से 29.08.2016 तक
(ग)	भरे हुए परीक्षा आवेदन प्रपत्र शुल्कादि सहित परिषद् कार्यालय में जमा करने की तिथि (विलम्ब शुल्क सहित)	दिनांक 30.08.2016 से 02.09.2016 तक

शुल्कादि की विवरणी

- (1) परीक्षा आवेदन प्रपत्र शुल्क- 100/- रुपये (2) परीक्षा शुल्क- 500/- रुपये
(3) परीक्षा विलम्ब शुल्क- 250/- रुपये (4) लोकल लेवी- 235/- रुपये
(5) प्रायोगिक परीक्षा शुल्क- 450/- रुपये (6) अंक पत्र शुल्क- 50/- रुपये
(7) औपबन्धिक प्रमाण पत्र शुल्क- 50/- रुपये (8) प्रव्रजन प्रमाण पत्र शुल्क- 50/- रुपये
(9) विविध शुल्क- 20/- रुपये

- * शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय के प्राचार्य/प्राचार्या शिक्षा सत्र 2011-13, 2012-14 एवं 2014-16 का पंजीयन रसीद निर्धारित अवधि में परिषद् कार्यालय, राँची से स्वयं या प्राधिकृत विशेष दूत के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं।
* परीक्षा प्रारम्भ होने की सम्भावित तिथि 26.09.2016 मानते हुए विज्ञापित संख्या 28/2016 के कंडिका 4 'ग' के वर्णित शर्तों के अधीन विशेष कक्षा का आयोजन कर आन्तरिक मूल्यांकन समाप्त एवं शिक्षा सत्र समाप्त का घोषणा पत्र दिया जाना अनिवार्य होगा अन्यथा उन महाविद्यालय के प्रशिक्षुओं को परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित किया जा सकता है।

अध्यक्ष के आदेश से,

ह./-

(रजनीकांत वर्मा)

सचिव,

झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची।

JAC/PTT/4626/15/SECY/272/16

Dt. 05.08.16

DOP : 06.08.16

8X13 = 104 sqcm